रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 301(अ).—केन्द्रीय सरकार, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

भाग 1—प्रारंभिक

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "आंगनवाड़ी" से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;

(ग) "नियत तारीख" से राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(घ) "समुचित सरकार" से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, किसी संघ राज्यक्षेत्र (राज्य विधान-मंडल रहित) की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "जिला शिक्षा अधिकारी" से किसी जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिए भारसाधक समुचित सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "छात्र-शिक्षक संचित अभिलेख" स विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है;

(छ) "विद्यालय योजना निर्माण" से सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में "प्ररूपों" के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिशिष्ट 1 में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश हैं ।

(3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

भाग 2--विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य--(1) गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

(2) उक्त समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा ।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात् :--

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ;

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) स्थानीय शिक्षाविदों या विद्यालय के बालकों में स एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय उक्त समिति में माता-पिताओं द्वारा किया जाएगा ।

(4) उक्त समिति अपने क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी ; विद्यालय का प्रधान अध्यापक, या जहां विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, उक्त समिति का पदेन सदस्य-संयोजक होगा ।

(5) उक्त समिति मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(6) उक्त समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :--

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना ;

(ख) धारा 24 के खंड (क) और खंड (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ग) इस बात को मानिटर करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर-शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना ;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना ;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना ;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ;

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानिटर करना ;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ।

(7) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक् खाते में रखा जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी ।

(8) उपनियम (6) के खंड (ञ) में और उपनियम (7) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उनके तैयार किए जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना--(1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी ।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन ;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए पृथक् रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा ;

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा ;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों जैसी बालकों की हकदारी, तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी है ।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

भाग 3--निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. विशेष प्रशिक्षण--(1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात् :—

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा ;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा ;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा ;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके ।

भाग 4--केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं--(1) आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित होंगी,--

(क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के बालकों के संबंध में, विद्यालय आसपास की एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा ;

(ख) कक्षा 6 से कक्षा 8 के बालकों के संबंध में, विद्यालय आसपास की तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा ।

(2) जहां कहीं अपेक्षित हो, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कक्षा 1 से कक्षा 5 वाले विद्यमान विद्यालयों को कक्षा 6 से कक्षा 8 को सम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत कर सकेगी और ऐसे विद्यालयों के संबंध में, जो कक्षा 6 से आरंभ होते हैं, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, कक्षा 1 से कक्षा 5 जोड़ने का प्रयास करेगा ।

(3) कठिन भू-भाग, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके ।

(4) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पता लगाए गए ऐसे लघु पुरवों के बालकों के लिए, जहां उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उक्त नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के शिथिलीकरण में, विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा ।

(5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे स्थानों में 6-14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आसपास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार कर सकेगा ।

(6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है, और प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा ।

(7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के संबंध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेगा ।

(8) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबाधित न हो ।

7. केंद्रीय सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व--(1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियत तारीख से एक मास के भीतर पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी, जिन्हें प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उसके कार्यक्रम अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, राज्य सरकारों से परामर्श करेगी और और उस व्यय की, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में वह राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी, प्रतिशतता का अवधारण करेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, नियत तारीख से एक मास के भीतर, वित्त आयोग को निर्देश कराएगी और प्रक्कलनों को पुनरीक्षित किए जाने के प्रत्येक समय पर इसी प्रकार निर्देश कराएगी:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट निर्देश के समय कोई वित्त आयोग विद्यमान नहीं है तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए एक अनुकल्पी तंत्र का गठन कर सकेगी ।

8. केन्द्रीय सरकार का शैक्षिक उत्तरादायित्व–(1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पाठचर्या के ढांचे के विकास के लिए नियत तारीख से एक मास के भीतर किसी शैक्षिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों से परामर्श करके, जो वह आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों के संबंध में अध्यापकों के सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण का उपबंध करने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को समर्थ बनाने के लिए कोई स्कीम (स्कीमें) तैयार कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के मानकों के अनुसार कोई मानिटरी तंत्र भी है ।

9. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व–(1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उपधारा (1) की खंड (ग) के अनुसार धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में उपबंधित किए गए अनुसार निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्रियों और वर्दियों के लिए हकदार होगा :

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण–उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, यह उल्लेखनीय है कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के संबंध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) और धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा ।

(2) आस-पास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की, नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, पहचान करेगा ।

(3) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्यधीन नहीं हो ।

(4) धारा 8 के खंड (ग) और धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मौदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में तथा शौचालय या कक्षाओं की सफाई में अलग न रखा जाए या उसके विरुद्ध विभेद न किया जाए ।

10. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना–(1) स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण द्वारा, उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा ।

(3) उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और उसका उपयोग धारा 9 के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

(4) उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अभिलेख मे, प्रत्येक बालक के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) नाम, लिंग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान ;

(ख) माता-पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय ;

(ग) वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां बालक (छह वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है ;

(घ) प्राथमिक विद्यालय, जहां बालक को प्रवेश दिया जाता है ;

(ङ) बालक का वर्तमान पता ;

(च) कक्षा, जिसमे बालक पढ़ रहा है (6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए) और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता मे शिक्षा जारी नहीं रहती है तो ऐसे जारी न रहने का कारण ;

(छ) क्या बालक कमजोर वर्ग का है ;

(ज) क्या बालक किसी अलाभप्रद समूह का है ;

(झ) क्या बालक (i) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (ii) आयु अनुसार समुचित प्रवेश ; और (iii) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है ।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में नामांकित बालको के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित किए गए हैं ।

भाग 5-विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

11. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश—(1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) मे निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएंगी ।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) मे निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेल-कूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के संबंध मे, किसी भी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा ।

(3) नियम 6 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आस-पास का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार दिए गए प्रवेशों को लागू होंगी :

परन्तु विद्यालय धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा ।

12. समुचित सरकार द्वारा प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति—(1) समुचित सरकार द्वारा, सभी ऐसे विद्यालयो मे नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों

की बाबत प्रारंभिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केन्द्रीय सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, समुचित सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति-बालक-व्यय होगा ।

स्पष्टीकरण–प्रति-बालक-व्यय का अवधारण करने के लिए, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों पर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों मे नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक् बैंक खाता रखेगा ।

13. आयु के सबुत के रूप में दस्तावेज–जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रामणीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा–

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख;

(ख) आगंनबाड़ी अभिलेख ;

(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा ।

14. प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि –(1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी ।

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा ।

15. विद्यालय को मान्यता–(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित किया गया, केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वधीन या नियंत्राधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ के तीन मास की अवधि के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट संनियमों और मानकों के उसके द्वारा अनुपालन किए जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में प्ररूप सं0 1 में एक स्वघोषणा करेगा, अर्थात् :–

(क) विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ;

(ख) विद्यालय किसी व्यष्टि, व्यष्टि-समूह या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ;

(ग) विद्यालय संविधान मे प्रतिस्ठापित आदर्शों के अनुरूप है ।

(घ) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ।

(ङ) विद्यालय समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध है ;

(च) विद्यालय समय-समय पर ऐसी रिपोर्टें और जानकारी प्रस्तुत करता है, जिनकी अपेक्षा की जाए, और समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करते हैं जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए ;

(2) प्ररूप 1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी उपनियम (1) मे वर्णित मानदंडो, मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए स्वतः घोषणा प्राप्त होने के तीन मास के भीतर उन विद्यालयों का स्थल पर निरीक्षण कराएगा जो प्ररूप सं0 1 में दावा करते हैं ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत की जाएगी और विद्यालयों को मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्ररूप 2 मे मान्यता प्रदान की जाएगी ।

(5) वे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किए जाएंगे ; ऐसे विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से इस प्रकार अगले ढाई वर्ष के भीतर किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे ताकि ऐसी अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो ।

(6) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं कार्य करना बंद कर देंगे ।

(7) केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् की गई है वे इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के क्रम में उपनियम (1) में उल्लिखित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप होंगे ।

16. विद्यालय की मान्यता वापस लेना- (1) जहां जिला शिक्षा अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 15 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची मे विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी निम्नलिखित रीति में कार्य करेगा :—

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना ;

(ख) स्पष्टीकरण को समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे उक्त अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कराएगा जाएगा जो तीन या पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शिक्षाविद्, सिविल समाज के प्रतिनिधि, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो सम्यक् जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों सहित उक्त अधिकारी को प्रस्तुत करे ;

(ग) उक्त अधिकारी समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेगा :

परंतु उक्त अधिकारी द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश समुचित सरकार के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) उक्त अधिकारी द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा और वह निकट के ऐसे विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें उस विद्यालय के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा ।

भाग 6- अध्यापक

17. न्यूनतम अर्हताएं- (1) केंद्रीय सरकार, नियत तारीख के एक मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिकथित करने हेतु एक शैक्षणिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिकथित करेगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी ।